

आदेश - पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम- 129)

सुखाड़ी विन्द

पत्रक- ता० से तक ।

गढ़वा विविध वाद सं० 30 / 2019-20

प्रकार- अवैध मांग को रद्द करने के संबंध में।

सुखाड़ी विन्द

| क्र. को क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गयी कार्यवाही के द्वारा में विवरण कार्यवाही का |
|------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 18/19 | <p>आवेदक श्री सुखाड़ी विन्द पिता-स्व० मुन्शी विन्द ग्राम-हरैया द्वारा आवेदन दिया गया है जिसमें ग्राम-हरैया के खाता संख्या-122 प्लॉट संख्या-451 एवं अन्य का कुल रकबा-5.91 एकड़ भूमि पर अवैध तरिके से चल रहे डिमाण्ड को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्रश्नगत भूमि का जांच प्रतिवेदन के मांग करें।</p> <p style="text-align: right;">Dep 18/19 अंचल अधिकारी, गढ़वा</p> | |
| 9.19 | <p>अभिलेख उपास्थापित किया गया। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम-हरैया के खाता संख्या-122 प्लॉट संख्या-451, 600, 601, 608, 615, 618, एवं 632 क्रमशः 1.53, 0.91, 0.08, 0.71, 0.84 एवं 1.01 का कुल रकबा-5.91 एकड़ भूमि गतसर्व खतियान में मुसरी विन्द वल्द रामसहाय विन्द के नाम से दर्ज है।</p> <p>मांग पंजी का जांच किया तथा पाया गया कि वर्तमान मांग पंजी-2 के पृष्ठ संख्या-32/3 पर बंशी विन्द वगैरह पिता-सहादेव विन्द के नाम से खाता संख्या-122 एवं अन्य के वचल रकबा-2.11 1/2 एकड़ भूमि का मांग चलता है। लगान वर्ष 2016-17 तक वसूल है।</p> <p>आवेदक ने उक्त खाता संख्या-122 का मांग रामविलास सिंह वगैरह के नाम से भी चलने का जिक्र किया है। जिसका जांच किया तथा पाया कि खाता संख्या-122 एवं अन्य के साथ कुल रकबा-5.57 1/2 एकड़ का मांग रामविलास सिंह वगैरह के नाम से मांग चलता है। प्राधिकार कॉलम में पन्ना भर जाने का मांग 15/4 पर कायम है तथा लगान वर्ष 2016-17 तक निर्गत है।</p> <p>आवेदन पत्र में सुरेन्द्र सिंह पिता-हिरा सिंह के द्वारा सूरजी देवी एवं दुलर देवी के नाम से केवाला संख्या-6493 दिनांक-03.11.1999 के द्वारा गलत तरिके से विक्री करने का प्रश्न है। मांग पंजी-2 में सूरजी देवी वगैरह के नाम से वर्तमान में मांग पृष्ठ संख्या-56/3 पर खाता संख्या-122 प्लॉट संख्या-618 रकबा-0.28 एकड़ दाखिल-खारिज केश नं०-697/2008-09 के आधार पर चलता है।</p> <p>राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आधार पर दावा/साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु दोनों पक्षों को नोटिश निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक-14.10.19 को रखें।</p> <p style="text-align: right;">Dep 14-10-19 अंचल अधिकारी, गढ़वा</p> | |

14.10.19

पुस्तकालय परीक्षा निर्देशिका के अन्तर्गत

कनिष्ठ विभाग के लिए

26.11.19

आनिवेश विभाग के विद्यार्थियों को प्रश्न पत्रों के अभाव में निवारित कार्यों में व्यवस्था करने के कारण वार्षिकी की शुभवादि नहीं हो सकी शुभवादि की अगली तिथि 03.01.2020 को निर्धारित किया जाता है।

कनिष्ठ विभाग

3.1.2020

कनिष्ठ विभाग के विद्यार्थियों को प्रश्न पत्रों के अभाव में निवारित कार्यों में व्यवस्था करने के कारण वार्षिकी की शुभवादि नहीं हो सकी शुभवादि की अगली तिथि 03.01.2020 को निर्धारित किया जाता है।

विद्यार्थियों को प्रश्न पत्रों के अभाव में निवारित कार्यों में व्यवस्था करने के कारण वार्षिकी की शुभवादि नहीं हो सकी शुभवादि की अगली तिथि 03.01.2020 को निर्धारित किया जाता है।

विद्यार्थियों को प्रश्न पत्रों के अभाव में निवारित कार्यों में व्यवस्था करने के कारण वार्षिकी की शुभवादि नहीं हो सकी शुभवादि की अगली तिथि 03.01.2020 को निर्धारित किया जाता है।

अभिलेख 130 20/02/2020 को रूठ

20/2/2020

पुनर्जातीय पशु मरण संस्था/संस्थान
में है।

कारण: नि. 2/3/2020 11

2/2/2020

अभिलेख सुधारित।

पुनर्जातीय पशु मरण संस्था/संस्थान में
कारण नि. 2/2/2020 को 10 -

20/2/2020

अभिलेख सुधारित।

Common Virus है जो अन्य मनुष्यों
के कारण से उत्पन्न हो रहा है।

21/4/2020 को रूठि (सुधारित) (सुधारित)

21.04.2020

12/6/20

अभिलेख सुधारित किया गया।
कोरोना वायरस से लॉक डाउन होने के
कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकी।
सुनवाई की गयी... 02-07-2020 को
निर्धारित किया जाता है।

21/6/20
अभिलेख सुधारित
रूठि

| | | |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| आदेश की क्र. संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर गयी कार्य के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
| 1 | 2 | 3 |

02.07.2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया। अभ्यर्थकों को कार्य के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकती। उभयपक्ष उपस्थापित सुनवाई की आगामी तिथि 14/7/20 को निश्चित की जा रही है।

[Signature]
अभ्यर्थक/अधीक्षक

14.07.2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया। उभयपक्ष उपस्थापित सुनवाई अभ्यर्थकों को कार्य के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकती।

सुनवाई की आगामी तिथि 21.8.2020 को निश्चित की जा रही है।

[Signature]
अधीक्षक

21.8.2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया। उभयपक्ष उपस्थापित सुनवाई अभ्यर्थकों को कार्य के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकती।

अधीक्षक दि. 11.09.2020

[Signature]
अधीक्षक

11.9.2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया। उभयपक्ष उपस्थापित सुनवाई अभ्यर्थकों को कार्य के कारण वाद की सुनवाई नहीं हो सकती।

7

आर ही कि उक्त प्लॉट का गोंग 37 9
शेडिंग में यानिहित है।

दुखी और दुखरा पक्ष उक्त प्लॉट
के लगान रकीर प्रकृत कि उक्त प्लॉट
दावा का आधार फोरवर्डिंग 100-5
वैधानिक फोरवर्डिंग 133। उक्त प्लॉट का
प्रदलेन क्लेकिया का बनाया है। उक्त
प्लॉट ऐसे में कि उक्त प्लॉट में बिन्द
जाति के नक्का से उक्त जो काट 1900
विभाग 46 के अंतर्गत शेरशिप कारि है।
ऐसे में प्लॉट 618 के स्वर का निर्माण
उक्त प्लॉट पक्ष- दक्षिण आधारलगा है का
थरते हैं।

अहाँ उक्त प्लॉट का डिग्रे पक्ष के
Molding के कलर कर प्रथम पक्ष के
में यानिहित कर पक्ष के वा उक्त
निर्माण हेतु क्लेकिया उपलब्धता करि
सुभाग वेडर का गोंग

By
1-9-2019